न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 674/2023
अनवान : –

1. श्याकर खां पुत्र जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मकबूल खां पुत्र जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जीवण खां पुत्र फजलदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मदीना पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रसूला पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सलमा पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. जुलेखा पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 33/31 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा, रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 134/126 की कुल 2.5160 हैक्ट भूमि से 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 38/36 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 129 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 27 की कुल 1.3290 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा फजलदीन पुत्र सुलेमान के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे अपने नाम द[illegible]ने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया स0 2 ता 5 वादीगण की बहि[illegible] जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर चुकी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। प्रतिवादी स0 1 ने रोही मौजा 19 एनटीआर व 15 एनटीआर की वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा रोही मौजा 16 एनटीआर व 17 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने स्वयं अपने नाम रख ली है। बाद हक त्याग रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134 की 2.5160 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 38 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मे प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादीगण बहिब 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होगे इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेज पुरानी व नयी जमाबंदी रोही मौजा 19 एनटीआर व 15 एनटीआर तथा सदस्य प्रमाण आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का भी प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद [illegible] किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई [illegible] संख्या 1 ने अपने नाम अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 119/130 के ख0न0 80 की 9.7750 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 120/131 के ख0न0 180 की 7.7890, ख0न0 83 की 9.3200 हैक्ट कुल 17.1090 हैक्ट भूमि में से 2060/17109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के अन्यत्र कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134/26 की 2.5160 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 38/36 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मे प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब 1/2–1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 674 / 2023

अनवान : –

1. श्याकर खां पुत्र जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मकबूल खां पुत्र जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जीवण खां पुत्र फजलदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मदीना पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रसूला पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सलमा पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. जुलेखा पुत्री जीवण खां जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 674 सन 2023 निर्णय दिनांक.....13/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33 / 31 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134 / 26 की 2.5160 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि व चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 38 / 36 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मे प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब 1 / 2–1 / 2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:34 IST
Reason: SelfAttested